

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्री दयाल सिंह चौहान व्याख्याता अंग्रेजी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मसूदा-अजमेर जिनकी जन्म तिथि 10.08.1965 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 09.09.1985 है।

श्री दयाल सिंह चौहान व्याख्याता अंग्रेजी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मसूदा-अजमेर द्वारा राजस्थान सेवा नियम 50 (1) के प्रावधानानुसार कार्मिक 15 वर्ष की योग्य सेवा पूर्ण करने के उपरान्त इनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सेवा नियम 50(1) के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकृत की जाती है।

प्रारूप-6 में संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र श्री दयाल सिंह चौहान व्याख्याता अंग्रेजी की स्वैच्छिक सेवानिवृति उपरान्त पृथक से जारी किया जायेगा।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,

बीकानेर

दिनांक: 16.06.22

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/अंग्रेजी-संस्कृत/स्व.से.नि./2015-16/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, अजमेर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग,
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
4. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मसूदा-अजमेर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिक से ऑडिट संबंधित वसूली/अन्य वसूली यदि निकाली जावेगी तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्मिक की होगी, इनके विरुद्ध अन्य कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का स्वयं हस्ताक्षरित शपथ-पत्र प्राप्त कर निर्धारित तिथि को सेवानिवृति संबंधित कार्यवाही करें।
6. कार्मिक श्री दयाल सिंह चौहान व्याख्याता अंग्रेजी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मसूदा-अजमेर (वरिष्ठता क्रमांक 2305 वर्ष 2013-15, डीपीसी चयन वर्ष 2013-15)
7. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी/प्रभारी ओएसी प्रभाग, अनुभागों को सूचनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर